राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 135 / SEIAA/2022
Date: 11/4/22

प्रति,

श्री जगन्नाथ,
आत्मज श्री मोहनलाल,
निवासी हॉल मुकाम, रोनीजा रोड़, बडनगर,
जिला उज्जैन (म.प्र)

विषयः– प्रकरण क्र. 8826 / 2021 परियोजना प्रस्तावक श्री जगन्नाथ आत्मज श्री मोहनलाल, निवासी हॉल मुकाम, रोनीजा रोड़, बडनगर, जिला उज्जैन (म.प्र) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 6717 से 19500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 623, ग्राम मौलाना, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 696 वी बैठक दिनांक 10.12.21 लिये गये निर्णय उपरांत 715वी बैठक दिनांक 25.03.2022 मे निम्नानुसार निर्णय लिया गया.......

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति मे निहित शर्तो का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन अनुसार वृक्षारोपण का निर्धारित लक्ष्य जिसके अंतर्गत 45 पौधों का रोपण किया जाना था, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा मात्र 10 से 15 पौधों का ही रोपण किया गया उल्लेखित है।

अतः उक्त प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन को Delist करने का निर्णय लिया गया एवं पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति मे निहित शर्तो अनुसार अनुपालन व वृक्षारोपण का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कर छायाचित्र मय आक्षांश – देशांश SEIAA में प्रस्तुत करने के उपरांत उक्त प्रकरण को Relist किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 14.03.2022 के माध्यम से वृक्षारोपण का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कर छायाचित्र मय आक्षांश – देशांश SEIAA में प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में की गई प्रतिबद्धता अनुसार वृक्षारोपण का शेष लक्ष्य (300 पौधों का रोपण) पूर्ण कर फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांस एवं स्थान के नाम सहित प्रस्तुत किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में सूचित किया जाता है कि SEAC में की गई प्रतिबद्धता अनुसार वृक्षारोपण का शेष लक्ष्य (300 पौधों का रोपण) पूर्ण कर फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांस एवं स्थान के नाम सहित सिया कार्यालय को प्रेषित करें। तद्उपरांत प्रकरण में विचार किया जायेगा।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी